न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 73/2017

मिर्जा खलीक उल्ला बैग एडवोकेट निवासी नजरबाग राज टाकीज रोड टोंक राज0
––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक
––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 23.11.2017**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27.09.2017 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक ने सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–वर्ष 1998 से 2013 तक कस्बा टोंक शर्की मे कौन–कौन पटवारी नियुक्त रहै तथा कौन–कौन से वर्ष पटवारी का पद रिक्त रहा तथा उसका चार्ज किस पटवारी को दिया गया उस आदेश की नकल।

2–वर्ष 1998 से 2013 तक कस्बा टोंक शर्की मे किस–किस आदेश से कौन–कौन पटवारी नियुक्त हुआ उन आदेशो की नकले यदि 1998 से 2013 के मध्य कस्बा टोंक गर्बी मे पटवारी का पद रिक्त रहा तो कौन से पटवारी को अलग से चार्ज दिलाया गया उन आदेशो की नकले।

3–कस्बा टोंक मे वर्ष 2013 से 2017 तक कौन गिरदावर रहै तथा उनकी नियुक्त के आदेश की नकल।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 1758 दिनांक 07.11.2017,1839 दिनांक 16.11.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 7287 दिनांक 20.11.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि उनके पत्र क्रमांक 7118 दिनांक 09.11.2017 से आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार टोंक को अन्तरित किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6(1) को समयावधि उपरान्त अन्तरित किया गया है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आशिंक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते राजस्थान

तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक तथा लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू–अभिलेख शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी टोंक